रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07092024-256989
CG-MH-E-07092024-256989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2024/भाद्र 15, 1946
No. 503]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2024/BHADRA 15, 1946

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 4 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 545(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग में अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव और निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग, प्रशासन काडर (सचिवालय पद) समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. प्रारंभिक गठन- अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव और निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) का पद धारण करने वाले पदधारियों को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया माना जाएगा और उनकी नियमित और निरंतर सेवा को परिवीक्षा, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अनुभाग अधिकारी।	22*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रुपए)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही।
(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा : (i) अस्सी प्रतिशत, विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) बीस प्रतिशत, ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
(i) विभागीय अर्हता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति : (क) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में सहायक कार्मिक अधिकारी। (ख) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में सहायक जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। (ii) ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के माध्यम से प्रोन्नति : परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) में सहायक जिन्होंने श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** : प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की संगणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2** : चयन हेतु विभागीय अर्हता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के पश्चात् साक्षात्कार सम्मिलित होगा। **टिप्पण 3** : विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 4** : प्रोन्नत अधिकारी, परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। **टिप्पण 5** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति** : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में सहायक कार्मिक अधिकारी का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से। (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों अर्थात :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में नियमित आधार पर प्रशासन काडर में पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर सचिव या संयुक्त सचिव प्रभारी केंद्रीयकृत काडर, परमाणु उर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. निदेशक या उप-सचिव प्रभारी केंद्रीयकृत काडर, परमाणु उर्जा विभाग – सदस्य; 3. निदेशक (कार्मिक और प्रशासन) परमाणु उर्जा विभाग या परमाणु उर्जा विभाग की कोई संघटक यूनिट – सदस्य; 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परमाणु उर्जा विभाग की कोई संघटक यूनिट - सदस्य।	लागू नहीं होता।

सेवा सहित। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति पर विभागीय अधिकारियों का चयन, समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन और पूर्व प्रदर्शन का पुनर्विलोकन अंतर्वलित करेगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अवर सचिव।	13*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा 66 2/3 प्रति शत। (ii) अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा 33 1/3 प्रति शत।	(i) विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति: परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) में प्रशासनिक अधिकारी-III का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से। (ii) अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के अधिकारी – (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रुपए) में नियमित आधार पर प्रशासन काडर में पद पर नियुक्ति के पश्चात सात वर्ष की सेवा सहित। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति पर विभागीय अधिकारियों का चयन, समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सेवा अभिलेख का मूल्यांकन अंतर्वलित करेगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप सचिव।	6*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) पचास प्रतिशत, विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) पचास प्रतिशत, अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
(i) विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति: परमाणु ऊर्जा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का पद धारण करने वाले अधिकारियों में से। (ii) केंद्रीय सरकार के अधीन अखिल भारतीय सेवाएं / केन्द्रीय सेवाएं समूह 'क' से प्रतिनियुक्ति :- (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रूपए) में नियमित आधार पर प्रशासन काडर में पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा सहित। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभागीय अधिकारियों का चयन, समय-समय पर विभाग में गठित चयन समिति द्वारा पात्र अभ्यर्थी के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन अंतर्वलित करेगा। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. निदेशक (कार्मिक और प्रशासन)।	5*(2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (123100-215900 रुपए)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रुपए) में ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी या उप विधिक सलाहकार या निदेशक (प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान) जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1** : प्रोन्नति के लिए पात्रता की अवधि की संगणना करने की निर्णायक तारीख रिक्ति वर्ष की 1 जनवरी होगी। **टिप्पण 2** : चयन में अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अंतर्वलित होगा। टिप्पण 3 : विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा पैनल तैयार करते समय परस्पर ज्येष्ठता पोषक, काडर अधिकारियों की पात्रता पर आधारित होगी। **टिप्पण 4** : प्रोन्नत अधिकारी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। **टिप्पण 5** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति:** अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं समूह 'क' या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – अध्यक्ष; 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र – सदस्य; 3. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, केन्द्रीकृत संवर्ग, परमाणु ऊर्जा विभाग - सदस्य; 4. संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग – सदस्य; 5. सचिव द्वारा विभाग के बाहर से नामनिर्दिष्ट व्यक्ति – सदस्य।	लागू नहीं होता।

अधिकारी – (क) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात - (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री; (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रूपए) में नियमित आधार पर प्रशासन काडर में पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्षों की सेवा सहित। **टिप्पण 1** : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[सं. 19/12/2022-सीसीएस/12991]

ए.आर.सुले, अपर सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th September, 2024

G.S.R. 545(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Section Officer, Under Secretary, Deputy Secretary and Director (Personnel and Administration) in the Department of Atomic Energy, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy, Administration Cadre (Secretariat Posts), Group ‘A’ and ‘B’ posts, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

6. Initial Constitution- The incumbents holding the posts of Section Officer, Under Secretary, Deputy Secretary and Director (Personnel & Administration) shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

7. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Section Officer.	22*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable.	**By promotion:** (i) eighty per cent. by promotion on the basis of Departmental qualifying Examination, failing which by deputation. (ii) twenty per cent. by promotion on Seniority-cum-Fitness basis.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
(i). Promotion through Departmental qualifying examination: (A) Assistant Personnel Officer in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100). (B) Assistant in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) with five years of regular service in the grade. (ii). Promotion through Seniority-cum-Fitness: Assistants in level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) in Department of Atomic Energy Secretariat with eight years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be 1st January of the vacancy year. **Note 2:** Selection against departmental qualifying examination shall include written examination followed by interview of the eligible candidates. **Note 3:** The *inter se seniority*, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 4:** Promotee officers shall undergo Training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy during the period of probation. **Note 5:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** (a) From amongst the officers in Department of Atomic Energy holding the post of Assistant Personnel Officer, in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100). (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor's degree from a recognised university or recognised institute; (ii) with three years service rendered after appointment to the post in the Administration Cadre on a regular basis in level-8 in the pay	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Secretary or Joint Secretary in-Charge of the Centralised Cadre in Department of Atomic Energy – Chairperson; (2) Director or Deputy Secretary in-charge of Centralised Cadre in Department of Atomic Energy – Member; (3) Director (Personnel and Administration) of Department of Atomic Energy or any constituent Unit of Department of Atomic Energy – Member; (4) Chief Administrative Officer of any constituent Unit of Department of Atomic Energy – Member. .	Not applicable.

matrix (Rs.47600-151100). **Note 1:** The selection of departmental officers on deputation shall involve evaluation of service record and review of past performance of the eligible candidates by a Selection Committee constituted in the Department from time to time. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Under Secretary.	13*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	(i) 66 2/3 per cent. by deputation of Departmental Officers. (ii) 33 1/3 per cent. by deputation from All India Services.	(i) Deputation of Departmental Officers: From amongst the officers in Department of Atomic Energy holding the post of Administrative Officer-III in level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700). (ii) Officers from All-India Services or Central services Group ‘A’ or Central Government or State Government or Union Territory Administrations– (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelor’s Degree from a recognised University or recognised institute; (ii) with seven years service rendered after appointment to the post in the Administration cadre on a regular basis in level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100). **Note 1:** The selection of departmental officers on deputation shall involve evaluation of service record of the eligible candidate by the Selection Committee constituted in the Department from time to time. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Deputy Secretary.	6*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted.	Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200).	Not applicable.

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	(i) fifty per cent. by deputation of Departmental Officers. (ii) fifty per cent. by deputation by All India Services.

(11)	(12)	(13)
(i) Deputation of Departmental Officers: From amongst the officers in the Department of Atomic Energy holding the post of Chief Administrative Officer in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200). (ii) Deputation from All India Services or Central Services Group ‘A’ under the Central Government: (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely:- (i) Bachelor’s Degree from a recognised University or recognised institute; (ii) with five years service rendered after appointment to the post in the Administration Cadre on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700 - 208700). **Note 1:** The selection of departmental officers through deputation shall involve evaluation of service record of the eligible candidate by the Selection Committee constituted in the Department from time to time. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Director (Personnel and Administration).	5*(2024) *Subject to variation dependent on	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non Ministerial.	Level-13 in the pay matrix (Rs.123100-215900).	Selection.

	workload.			

(6)	(7)
Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Chief Administrative Officer or Deputy Legal Advisor or Director (Administrative Training Institute) in level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200) with five years of regular service in the grade. **Note 1:** The crucial date for computing the period of eligibility for promotion shall be the 1st January of the vacancy year. **Note 2:** Selection shall involve interview of the candidates. **Note 3:** The *inter-se* seniority, while preparing the panel by Departmental Promotion Committee shall be based on the eligibility of feeder cadre officers. **Note 4:** Promotee officers shall undergo training from the Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy after appointment. **Note 5:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers from All-India Services or Central services Group ‘A’ or Central Government or State Government or Union Territory Administrations– (a) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience, namely,- (i) Bachelor’s Degree from a recognised University or recognised institute; (ii) with five years service rendered after appointment to the post in the Administration Cadre on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200). **Note-1:** The Departmental Officers in the feeder	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Secretary, Department of Atomic Energy – Chairperson; 2. Director, Bhabha Atomic Research Centre – Member; 3. Additional Secretary or Joint Secretary, Centralised Cadre, Department of Atomic Energy – Member; 4. Joint Secretary, Department of Atomic Energy – Member; 5. A nominee of Secretary from outside the Department - Member.	Not applicable.

category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years of age as on the closing date of the receipt of applications.		

[No. 19/12/2022-CCS/12991]

A. R. SULE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.07 16:11:44 +05'30'